पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 को दिनांक 20.10.2023 को प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति अपील संधारण के विरूद्ध, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 एवं स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 01, 02 (प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता) ने दौराने बहस प्राथमिक आपत्ति अपील संधारण के विरूद्ध में अंकित कथनों को दौहराते हुए निवेदन किया कि जिस भूमि बाबत अप्रार्थीगण ने वाद प्रस्तुत किया गया है उक्त भूमि अप्रार्थीगण स्वयं की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है न कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया ग्राम पंचायत चाचियावास न तो प्रभावित पक्षकार है एवं न ही पीडित पक्षकार है। ऐसी स्थिति में विपक्षी ग्राम पंचायत चाचियावास को अप्रार्थीगण के पक्ष में पारित न्यायोचित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.02.2023 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। ग्राम पंचायत चाचियावास विद्वान अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर (मु) महोदय, अजमेर के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 188 राज0काश्त0 अधिनियम मय धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पक्षकार मुर्तिब नही है। ऐसी स्थिति में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध ग्राम पंचायत चाचियावास को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है जब तक ग्राम पंचायत चाचियावास मूल वाद एवं प्रार्थना पत्र में पक्षकार मुर्तिब नही हो जाती तब तक विपक्षी ग्राम पंचायत चाचियावास को माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। अतः उकसे द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील प्रथम दृष्टया ही माननीय न्यायालय में संधारण योग्य नहीं होने से उसे प्राथमिक आपत्ति पर इसी स्तर पर ही निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा। अतः अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकर फरमाया जाकर प्रार्थी/अपीलांट विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल राजस्व वाद एवं प्रार्थना पत्र में पक्षकार मुर्तिब नहीं होने से धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित आदेश की अपील पेश करने का अधिकारी नही होने से उसके द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को प्राथमिक स्तर पर ही निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब बहस प्राथमिक आपत्ति कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी को अपील में पक्षकार मुर्तिब नही कर बाले–बाले उक्त अविधिक आदेश दिनांक 06.10.2023 पारित करवा लिया गया जबकि उक्त आदेश से समस्त ग्राम वासियों एवं ग्राम पंचायत सीधे तौर पर प्रभावित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी एवं समस्त ग्रामवासियान के हक व अधिकार उक्त आदेश से प्रभावित हो रहे है। अतः प्राथमिक आपत्ति अपील के संधारण के विरूद्ध को खारिज किया जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 बाबत कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को समस्त तथ्यों की जानकारी होने के उपरान्त विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी को अपील में पक्षकार मुर्तिब नही कर बाले–बाले उक्त अविधिक आदेश दिनांक 06.10.2023 पारित करवा लिया गया जबकि उक्त आदेश से समस्त ग्राम वासियों एवं ग्राम पंचायत सीधे तौर पर प्रभावित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी एवं समस्त ग्रामवासियान के हक व अधिकार उक्त आदेश से प्रभावित हो रहे है तथा प्रार्थी आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार होने से उसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित ओदश दिनांक 06.10.2023 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुती की अनुतमि प्रदान की जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर प्रार्थी को विद्वान सहायक कलक्टर (मु), अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुती की अनुमति न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 बाबत कथन किया कि उक्त भूमि अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस स्वयं की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है न कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया ग्राम पंचायत चाचियावास न तो प्रभावित पक्षकार है एवं न ही पीडित पक्षकार है। ऐसी स्थिति में

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

विपक्षी ग्राम पंचायत चाचियावास को अप्रार्थीगण के पक्ष में पारित न्यायोचित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.02.2023 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। ग्राम पंचायत चाचियावास विद्वान अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर (मु) महोदय, अजमेर के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 188 राज0काश्त0 अधिनियम मय धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पक्षकार मुर्तिब नही है। ऐसी स्थिति में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध ग्राम पंचायत चाचियावास को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है जब तक ग्राम पंचायत चाचियावास मूल वाद एवं प्रार्थना पत्र में पक्षकार मुर्तिब नही हो जाती तब तक विपक्षी ग्राम पंचायत चाचियावास को माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 को इसी स्तर पर खारिज कर अपील को खारिज किया जावे।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र स्थगन में अंकित कथनों को दौहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजीयात बाबत् प्रार्थी/ग्राम पंचायत चाचियावास द्वारा सडक निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है तथा ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित सभी कार्य एन0ओ0सी0 व वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त की जा चुकी है तथा संबंधित विभाग द्वारा प्रथम किश्त भी जारी की जा चुकी है तथा प्रार्थी द्वारा मौके पर जन कल्याण हेतु रास्ते का निर्माण किया जा रहा है किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के अविधिक आदेश दिनांक 06.10.2023 की आड में अप्रार्थीगण उक्त रास्ते के निर्माण में बाधा उत्पन्न की जा रही है जिसमें यदि वे सफल हो गये तो समस्त ग्रामवासियान को अपूरर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नही की जा सकेगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर ताफैसला अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर द्वारा पारित ओदश दिनांक 06.10.2023 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस में बताया कि वर्तमान रेस्पोडेंट 1 व 2 के द्वारा 188 आरटी एक्ट के तहत वादपत्र सहायक कलक्टर अजमेर के समक्ष मय 212 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विवादित भूमियां खसरा नम्बर 177/1579 तथा 178/1578 ग्राम चाचियावास है जिसका अपने आपको रेस्पोडेंट के द्वारा खातेदार होना बताया इन्होंने पीडब्ल्डी को पक्षकार बनाया तथा दिनांक 6.10.2023 को अपने पक्ष में अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया। पीडब्लूडी सडक बना रही है रास्ते की जमीन पर इनके द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। इनके द्वारा रास्ते पर कब्जा करने से ग्रामवासियों के द्वारा शिकायत की गई पटवारी रिपोर्ट में इनका अतिक्रमण बताया गया स्टे से सडक का कार्य बंद हो गया है। पंचायत समिति से रोड स्वीकृत है ग्राम पंचायत प्रभावित है। 96 का प्रार्थना पत्र हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है। 96 के प्रार्थना पत्र पर इनकी प्राथमिक आपत्ति है। इनके द्वारा 96के प्रार्थना पत्र का जवाब दिया जाना चाहिए था इन्होंने ग्राम पंचायत की जगह पीडब्ल्यूडी को पक्षकार बनाया है मौका रिपोर्ट दिनांक 10.10.2023 की है।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस में बताया कि हमने स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया था मेरी खातेदारी में यह रास्ता बनाना चाहते है इस वजह से हमने स्टै लिया है हम खातेदार गैर0 मुमकिन रास्ते का खसरानम्बर 178/1577 अलग है। 177/1576 वाले खातेदार ने रास्ते में टॉयलेट बनाया है। यह इस टॉयलेट को छोडते हुए हमारे खेत खसरा नम्बर 177/1579 में से रास्ता निकाल रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनने बाबत कोई प्रार्थन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है सीमाज्ञान के बाद रोड बनाए हमे आपत्ति नहीं है। हमने आबादी खसरा नम्बर बाबत कोई स्टे नही मांगा है इनका कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। मौका पर्चा हमारी शिकायत पर बनाया है हमने एसएचओं गेगल को शिकायत दी थी हमने कोई रास्ता नहीं रोका मूल वाद में पक्षकार बने इनका कोई लोकस स्टेण्डई नहीं है।

रिवूटल में वकील अपीलांट ने बताया कि कब्जा गांव वाले ने नहीं किया है अपितु इन्होंने किया है। अतिक्रमी को इन्होंने पक्षकार नहीं बनाया। हमने 96 सीपीसी प्रस्तुत किया है क्यों कि सडक का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा ही स्वीकृत करवाया गया था। राजस्व मण्डल के कई निर्णयों में यह बताया गया है कि व्यथित पक्षकार कोई भी अपील कर सकता है इनके खेतों से लगता हुए खसरा नम्बर रास्ते का है फिर आबादी भूमि है यह सीमाज्ञान करवाते।

30/1/2024

राजस्व अपील प्राधिकारी

दावे में सिर्फ 188 इनका । दावे में टॉयलेट बाबत कोई कथन इनके द्वारा कहा गया ना ही इनके द्वारा टॉयलेट निर्माण करवाने वाले व्यक्ति को पक्षकार बनाया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार रेस्पोडेंट 1 व 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया जाकर अविधिक आदेश दिनांक 6.10.2023 पारित करवा लिया गया। जबकि उक्त आदेश से समस्त ग्रामवासी व ग्राम पंचायत सीधे तौर से प्रभावित है। अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध वित्तीय स्वीकृति ग्राम पंचायत चाचियावास का अवलोकन किया गया। उक्त वित्तीय स्वीकृति FS/2023-2024/85807 दिनांक 2.8.2023 से हैण्डपंप से गोवर्धन के घर की ओर सीसी ब्लॉक रोड मय नाली निर्माण कार्य पदमपुरा के नाम से 10 लाख रूपए की राशि का स्वीकृत किया गया है। उक्त कार्य 15 वां वित्त आयोग योजना के तहत किया गया है। कार्यकारी ऐजेंसी ग्राम पंचायत चाचियावास है। अतः स्पष्ट है कि विवादित सडक निर्माण कार्य ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत/execute कराए जाने से ग्राम पंचायत व्यथित पक्षकार है उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

अपील को मियाद अवधि के बिंदु के संदर्भ में देखा गया अपीलाधीन आदेश 6.10.2023 का है व अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 9.10.2023 को प्रस्तुत करना पाया जाता है। अपील अंदर मियाद है।

स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन अंतरिम स्थगन आदेश निम्नानुसार है–

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 6.10.2023 को किए गए अपने निर्णय के अनुसार– प्रार्थीगण के अभिभाषक को एकपक्षीय सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। उपरोक्त विवादित आराजी खाता संख्या पुराना व नया 354 खसरा नम्बर 178/1578 रकबा 0.2500 है0 किस्म बारानी 02 व खाता संख्या पुराना व नया 355 177/1579 रकबा 0.1600 है0 किस्म बारानी प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है किंतु अप्रार्थीगण भूमि के विशेष भाग सीसी रोड बनानें पर सख्त आमादा है यदि वे ऐसा करने में सफल हो गए तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होना संभावित है अतः अप्रार्थीगण को जरिए अंतरित अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी पर कोई दखलंदाजी नहीं करे तथा साथ ही मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

रेस्पोडेंट द्वारा अपने खसरा नम्बरों 177/1579, 178/1578 बाबत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है जबकि अपीलांट का संबंध अन्य खसरा नम्बर 178/1577 गै0मु0 रास्ता से है। अपीलांट ग्राम पंचायत चाचियावास उक्त खसरानम्बर 178/1577 पर सीसी रोड का निर्माण करना चाहती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट को 177/1579, 178/1578 खसरा नम्बरों का खातेदार/सहखातेदार मानते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस बाबत जारी की थी कि इन खसरा नम्बरों में रेस्पोडेंट को सडक का निर्माण करने से रोका जाए। सडक निर्माण का कार्य पीडब्ल्यूडी द्वारा नहीं किया जाकर ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। रेस्पोडेंट के द्वारा सही पक्षकार का संयोजन अपने वादपत्र व प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है। रेस्पोडेंट अभिभाषक ने बहस में यह बताया कि सीमाज्ञान के बाद यदि रोड बनता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। दोनों पक्षों के मध्य मुख्य विवाद सीमा विवाद ही है। सीमाज्ञान के बाद ही प्रकरण में उचित रूप से आगे बढा जा सकेगा इस स्टेज पर न्यायालय का यह मानना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम स्थगन आदेश को यथावत रखते हुए पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि आगामी तीन सप्ताह में दोनों पक्षों को अपने–अपने स्तर पर सीमाज्ञान करवाकर न्यायालय में उचित सुनवाई का अवसर देकर 212 के प्रार्थना पत्र में अंतिम निस्तारण करे। अपीलांट व रेस्पोडेंट एक सप्ताह में संबंधित तहसीलदार के समक्ष सीमाज्ञान का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सीमाज्ञान हेतु उनकी आज्ञा प्राप्त करके सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट को अधीनस्थ

30/2024

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। तहसीलदार सीमाज्ञान का कार्य दोनों पक्षों की अनिवार्य उपस्थिति में करवाऐंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

30/2024

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर